2013 का विधेयक संख्या 15

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं.16), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में विद्यमान खण्ड (तक) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (थ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(तख) "पदाधिकारी" से, किसी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अभिप्रेत है और इसमें किसी सहकारी सोसाइटी की समिति द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;"।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपविधियों के उपबंधों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "का पालन करने में असफल रहा है," के पूर्व आयी अभिव्यक्ति ",यदि कोई हों," हटायी जायेगी।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जब तक कि उसने सोसाइटी को सदस्यता के संबंध में ऐसे संदाय न कर दिये हों या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में संदाय को सम्मिलित करते हुए, सोसाइटी के समस्त शोध्यों के

संबंध में संदाय न कर दिये हों या सेवाओं का ऐसा न्यूनतम स्तर प्राप्त न कर लिया हो या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उपाध्यक्ष" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा किया जायेगा" के पूर्व अभिव्यक्ति " या धारा 30 के अधीन नियुक्त प्रशासक " अन्त:स्थापित की जायेगी।

6. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न " । " के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

> "परन्तु अरबन को-आपरेटिव बैंक का कोई व्यष्टिक सदस्य, सोसाइटी की कुल शेयर पूंजी के अधिकतम बीसवें भाग तक ही शेयर धारण करेगा।"।

7. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक सहकारी सोसाइटी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए" के पूर्व अभिव्यक्ति "वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर" अन्त:स्थापित की जायेगी।

8. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "**27. समिति की नियुक्ति.-** (1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्याकलापों का प्रबन्ध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को न्यस्त करेगा:
>
> परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के मामले में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने

सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नयी समिति, जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा, के गठन पर कृत्य करना बन्द कर देगी।

(2) समिति में सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जैसीकि उपविधियों में विहित की जाये:

परन्तु समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि समिति के बारह सदस्य सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे:

परन्तु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी की समिति जो सदस्यों के रूप में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों, एक स्थान अनुसूचित जातियों के लिए, एक स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे।

(3) सहकारी सोसाइटी की समिति बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और इसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले इतने व्यक्तियों को समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करेगी, जितने उपविधियों में विनिर्दिष्ट किये जायें:

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के इक्कीस सदस्यों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी निदेशक भी समिति के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को, प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल

संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

(4) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगी:

परन्तु समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम हैः

परन्तु यह और कि यदि समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशन या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्देशित या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्य को सम्मिलित करते हुए समिति का प्रत्येक सदस्य एक मत देने का हकदार होगा:

परन्तु धारा 29 के अधीन नामनिर्देशित या उप-धारा (3) के अधीन सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने का या समिति के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का कोई अधिकार नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, समिति द्वारा पारित किये गये संकल्प से विसम्मति रखता हो, वहां वह ऐसी विसम्मति के बारे में सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा।"।

9. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 28 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.-(1) कोई भी व्यक्ति, एक ही समय में, एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन की तारीख को किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का पहले से अध्यक्ष है तो उसका पश्चातवर्ती निर्वाचन पूर्वोक्त निर्वाचन से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर शून्य समझा जायेगा, जब तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने के लिए या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है:

परन्तु यह निरर्हता किसी सदस्य-सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) उप-धारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित ओर नामनिर्देशित होने के लिए, या समिति का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह-

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी

उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसे बैंक के प्रति नब्बे दिन से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए, प्रतिनिधि है, जब तक कि व्यतिक्रम दूर न कर दिया जाये; और

(iii) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है या जो उसकी स्वयं की सोसाइटी की समिति में सदस्य न रहा हो।

(5) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं.1) में यथा परिभाषित कोई भी साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या सहयोजित होने के लिए पात्र नहीं होगा और जहां ऐसी सोसाइटी का यथापूर्वोक्त कोई अधिकारी साहूकारी का कारोबार प्रारम्भ कर देता है तो वह, तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का अधिकारी नहीं रहेगा।

(6) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी भी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा:

परन्तु धारा 30 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में वर्णित आधार पर, जिस समिति के स्थान पर प्रशासक रखा गया है, उस समिति का कोई सदस्य इस उप-धारा के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।

(7) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया हो, ऐसा आदेश अपास्त न किये जाने की स्थिति में, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य

सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रति-संदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश कि तुष्टि में अभिदाय और खर्चे या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा।

(8) ऐसा कोई व्यक्ति -

(i) जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 120ख, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 या 477क के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान किया गया है और जो विचारण के अधीन है, किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा; या,

(ii) जिसको सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और तीन मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसे दण्डादेश को तत्पश्चात् उलट न दिये जाने या उसका परिहार न किये जाने या उस अपराधी को क्षमा न किये जाने की स्थिति में, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित किये जाने या उसमें बने रहने का पात्र नहीं होगा।

(9) कोई भी व्यक्ति समिति का अध्यक्ष और संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य, किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और, यदि वह पहले ही संघ मंत्रि-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह, उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है,

चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह संघ मंत्रि॰-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि॰-परिषद् में अपने स्थान से या, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, संघ मंत्रि॰-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् के सदस्य या किसी जिला परिषद् के प्रमुख या किसी पंचायत समिति के प्रधान के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो संघ मंत्रि॰-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा, जब तक कि वह संघ मंत्रि॰-परिषद् अथवा राज्य मंत्रि-परिषद् में अपने स्थान से या उस पद से, जो वह जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में धारित करता है, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन, सहयोजन या नामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक संतानें हैं:

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक संतानें हैं, इस उप-धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 10.7.1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, जहां 10.7.1995 को दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक संतान हो और तत्पश्चात् किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से जन्मी संतानों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(11) समिति का कोई भी सदस्य, जो अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना या सहायता उपलब्ध कराने में असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्देशित होने का पात्र नहीं होगा।

(12) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।"।

10. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना.-** (1) जहां -

(क) सहकारी सोसाइटी की समिति,-

(i) लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति या सदस्य पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करता है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करती है; या

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; या

(ग) विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नयी समिति के लिए निर्वाचन कराने में असफल रहा है,

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में

राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु जहां कोई सरकार का शेयर धारण या सरकार द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या कोई प्रत्याभूति नहीं हो, वहां किसी सोसाइटी की समिति अतिष्ठित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.10) के उपबंध भी लागू होंगे:

परन्तु यह भी कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस खण्ड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि "छह मास" शब्द के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे गये थे ।

(2) यदि समिति का कोई भी सदस्य, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के द्वारा उस पर अधिरोपित किये जाने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो किसी प्राथमिक समिति की दशा में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय समिति की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान और किसी शीर्ष समिति की दशा में राज्य सरकार, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे सदस्य को, लिखित आदेश द्वारा, हटा सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक,-

(क) उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर निर्वाचनों का संचालन करने के लिए व्यवस्था करेगा और निर्वाचित समिति को प्रबन्धन सौंपेगा; और

(ख) प्रशासक को, नयी समिति के निर्वाचित होने तक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की शक्ति होगी और ऐसी समस्त कार्रवाईयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों ।"।

11. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**32. सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन.-** समिति का निर्वाचन उस समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति के नव-निर्वाचित सदस्य, पदावरोही समिति के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही तुरन्त पद ग्रहण करलें ।"।

12. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 33 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**33. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और उसके कृत्य.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इस अध्याय में आगे प्राधिकारी कहा गया है, के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे प्राधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्दों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

(3) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, प्राधिकारी में निहित होगा।

(4) राज्य सरकार, सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांत विहित कर सकेगी।

(5) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, जोन स्तर पर पदस्थापित जोनल रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और इकाई स्तर पर पदस्थापित इकाई अधिकारी क्रमश: पदेन जोनल रिटर्निंग अधिकारी और इकाई रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्राधिकारी द्वारा उन्हें न्यस्त कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(6) धारा 27 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकारी, किसी सोसाइटी की समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए ऐसी रिक्ति के होने के छह मास के भीतर-भीतर समिति की शेष अवधि के लिए निर्वाचनों का संचालन करेगा।"।

13. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 34 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**34. निर्वाचनों का उपक्रम.-** (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी समिति और उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विद्यमान समिति की अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लिखित सूचना प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समिति में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।

(2) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और प्राधिकारी या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

(3) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराती है जिसकी निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात्, प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर, किसी भी कारण से रोकी या मुल्तवी नहीं की जायेगी।"।

14. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**54. लेखे और लेखापरीक्षा.-** (1) प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने लेखे, विहित प्ररूप और रीति से तैयार और संधारित करेगी।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित पैनल में से नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायेगी:

परन्तु किसी भी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को लगातार दो वर्ष से अधिक के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा उस वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर की जायेगी।

(4) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विहित रीति से, पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा।

(5) सोसाइटियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव निम्नलिखित होगा, अर्थात्:-

(क) लेखापरीक्षक के मामले में,-

(i) वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हो और उसे

अर्हता पश्चात् लेखाओं की संपरीक्षा करने का तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) वह राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग में सेवारत व्यक्ति हो और सहकारी सोसाइटियों की लेखापरीक्षा को संचालित करने के लिए नियुक्त और प्राधिकृत हो और उसके पास "नेशनल काउन्सिल फार कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली" के द्वारा सहकारी लेखा में दिया गया डिप्लोमा हो; और

(ख) लेखापरीक्षा फर्म के मामले में, वह चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउण्टेण्टों की फर्म हो और उसे लेखाओं की लेखापरीक्षा का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

(6) लेखापरीक्षा का खर्चा संबंधित सोसाइटी द्वारा निर्धारित और संदत्त किया जायेगा:

परन्तु उप-धारा (5) के खंड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(7) सोसाइटी, लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी, या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म अपेक्षा करे।

(9) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म को सोसाइटी के सभी नोटिस और वार्षिक साधारण बैठक में संबंधित

प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(10) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्ररूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसाइटी को प्रस्तुत करेगी।

(11) लेखापरीक्षक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा फर्म, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगी।

(12) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक को नियत समय के भीतर-भीतर रिपोर्ट भी देगा।

(13) सोसाइटी, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात्, उसकी अनुपालन रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटी को भेजेगी।

(14) रजिस्ट्रार, शीर्ष सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उसे राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगी।

(15) यदि राज्य विधान-मण्डल, उसके समक्ष रखी गयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर कोई निदेश या सिफारिश करने का संकल्प करता है तो सोसाइटी यथाशक्य शीघ्र उन निदेशों या यथास्थिति, सिफारिशों का अनुपालन करेगी।"।

15. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 के खंड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 67 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 67 में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अल्पकालिक और मध्यम अवधि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दीर्घकालीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) को खण्ड (ग) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खण्ड (ग) के पूर्व निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"(ख) राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष स्कीमों के अधीन या इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित प्रयोजनों के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायें, अल्पकालिक और मध्यम अवधि उधार देने वाले भूमि विकास बैंक;"; और

(iii) स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (ii) में, अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "और" हटायी जायेगी और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) "दीर्घकालीन उधार" से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो न तो अल्पकालिक और न ही मध्यम अवधि उधार हो; और "।

17. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 74 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 74 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"74. उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति.- जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो भूमि विकास बैंक, ऐसे आवेदन पर, उचित जांच के पश्चात् और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, विचार करेगा।"।

18. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 104 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 104 की उप-धारा (2) का विद्यमान खण्ड (घ) हटाया जायेगा।

19. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (10) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 28 की उप-धारा (5)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 28 की उप-धारा (12)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 109 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 109 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " उप-धारा (2) " के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-धारा (3)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कटौतियां करने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कटौतियां करने और इस प्रकार काटी गयी रकम संदत्त करने" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (ज) में विद्यमान अभिव्यक्ति "30, 31, 54, 55, 60 या 63 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को", के स्थान पर अभिव्यक्ति "30, 31, 55, 60, 63 या 122-क के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को या धारा 54 के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म को" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(घ) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की अवज्ञा करता है; या "; और

(ङ) इस प्रकार संशोधित खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ध) कोई व्यक्ति, जो समिति के सदस्यों या इसके पदाधिकारियों के निर्वाचन के पहले, उसके दौरान या पश्चात् कोई भ्रष्ट आचरण अपनाता है।"; और

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से;"; और

(ख) इस प्रकार संशोधित खण्ड (द) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ध) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ध) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से।"।

21. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की धारा 122-क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 122 के पश्चात् और विद्यमान धारा 123 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**122-क. विवरणियों का फाइल किया जाना.-** प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थात्:-

(क) अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण;

(ग) अधिशेष के व्ययन के लिए योजना, जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो;

(घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हों, की सूची;

(ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा; और

(च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।"।

22. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं.16 की अनुसूची-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची-ख के पैरा (1) के विद्यमान उप-पैरा (घ) के पश्चात् और विद्यमान उप-पैरा (ङ) के पूर्व निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(घक) सोसाइटी की सेवाओं के न्यूनतम आवश्यक उपयोग के बारे में या सोसाइटी की बैठकों में न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति के बारे में या सोसाइटी के साथ अन्य संव्यवहारों के बारे में मानक, जो सदस्य द्वारा पूर्ण किये जायेंगे;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद ने सहकारी सोसाइटियों में वृहत्तर भागीदारी और उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया है। पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के कतिपय उपबंधों को संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप करने के लिए संशोधित किया जाना है। यह उपबंध धारा 2, 16, 18, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 54, 62, 109, 122क और अनुसूची-ख से संबंधित हैं।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में कुछ अन्य संशोधन भी किये जाने प्रस्तावित हैं जो निम्नलिखित हैं:-

जहां ऐसी कोई सोसाइटी, जो किसी अन्य सोसाइटी की सदस्य हो, उस अन्य सोसाइटी में प्रशासक के मताधिकार के लिए उपबंध करने हेतु धारा 20 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, किसी सदस्य के व्यष्टिक शेयर धारण को अरबन को-आपरेटिव बैंक की कुल शेयर पूंजी के पांच प्रतिशत तक सीमित करने के लिए धारा 21 में एक नया परन्तुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

धारा 28 किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध सक्षम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 120ख, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, या 477क के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान किया गया है, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित, या नामनिर्देशित होने या उसमें बने रहने से निरर्हित किये जाने के लिए प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है और इसके परिणामस्वरूप धारा 105 की उप-धारा (10) के खण्ड (क) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष स्कीमों के अधीन लघु अवधि और मध्यम अवधि के उधार देने के लिए या इस प्रयोजन के

लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित प्रयोजनों के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसाकि राज्य सरकार विनिश्चित करे, भूमि विकास बैंक को अनुज्ञात करने के लिए धारा 67 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

उधार के लिए आवदेन पर विचार करने की रीति को सरल बनाने के लिए धारा 74 को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अपील से संबंधित उपबंधों से उदभूत विषमता को दूर करने के लिए धारा 104 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) को हटाया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

परसादी लाल मीणा,
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प. 2 (21)विधि/2/2013 जयपुर, दिनांक 14 मार्च, 2013 प्रेषकः परसादी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करती हूँ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 11 और 12, जो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की क्रमश: धारा 32 और 33 को संशोधित करने के लिए ईप्सित हैं, से 1,49,00,000/- रुपये का अनावर्ती व्यय और लगभग 3,06,00,000/- रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय अन्तर्वलित होगा।

परसादी लाल मीणा,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को, प्रत्येक खण्ड के सामने अंकित विषयों के संबंध में नियम बनाने के लिए, सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**के संबंध में**
12	वह रीति जिससे राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा, विहित करने; [धारा 33(1)]
12	राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की सेवा के निबंधन और शर्तें विहित करने; [धारा 33(2)]
13	वह रीति, जिससे सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी लिखित सूचना भेजेगा, विहित करने; [धारा 34(1)]
14	वह प्ररूप और रीति, जिसमें सोसाइटी अपने लेखे तैयार और संधारित करेगी, विहित करने; [धारा 54(1)]
14	वह रीति, जिससे रजिस्ट्रार पात्र लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल तैयार, अनुमोदित और अधिसूचित करेगा, विहित करने; [धारा 54(4)]
14	उप-धारा (5) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षकों की फीस विहित करने; [धारा 54(6) परन्तुक]
17	वह रीति, जिससे, भूमि विकास बैंक, उधार हेतु किये गये किसी आवेदन पर विचार करेगा, विहित करने; [धारा 74]

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

परसादी लाल मीणा,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001
(2002 का अधिनियम सं.16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

16. सदस्यता की समाप्ति.- (1) **XX XX XX XX**

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसका कारबार सोसाइटी के कारबार के विरुद्ध या प्रतिस्पर्धा में है या जो साधारण निकाय की बैठक में लगातार तीन वर्ष तक किसी भी युक्तियुक्त कारण के बिना उपस्थित नहीं हुआ है या जो अपने देयों का संदाय करने में बारबार व्यतिक्रम कर रहा है या जो सोसाइटी की सेवाओं का न्यूनतम आवश्यक उपयोग करने के संबंध में या सोसाइटी के साथ अन्य व्यवहार करने के संबंध में उपविधियों के उपबंधों, यदि कोई हों, का पालन करने में असफल रहा है या जिसने, समिति की राय में, सोसाइटी को बदनाम किया है या ऐसा कोई अन्य कार्य किया है जो सोसाइटी के हित या समुचित कार्यकरण के लिए अहितकर है तो, उस प्रयोजन के लिए बुलाये गये साधारण निकाय के समक्ष उसे अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे साधारण निकाय की बैठक में विहित रीति से पारित विशेष संकल्प द्वारा, सदस्यता से हटाया या निष्कासित किया जा सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

18. देय का संदाय न किये जाने तक सदस्य द्वारा अधिकारों का प्रयोग न किया जाना.- सहकारी सोसाइटी का कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सोसाइटी को सदस्यता के संबंध में ऐसे संदाय न कर दिये हों या सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

XX XX XX XX XX XX

20. मत प्रयोग की रीति.- (1) **XX XX XX XX**

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का, जो किसी अन्य सहकारी सोसाइटी का सदस्य हो, इस अधिनियम के अधीन

बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, उस अन्य सोसाइटी के कार्यकलाप में उसकी ओर से मत देने के लिये प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा या, उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा;

(ख) जहां सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई निकाय किसी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है वहां वह ऐसी सोसाइटी के कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने के लिए कोई प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

21. शेयर धारण करने पर निर्बन्धन.- किसी सहकारी सोसाइटी का व्यष्टिक सदस्य सोसाइटी की कुल शेयर पूँजी के अधिकतम पांचवें भाग तक ही शेयर धारण कर सकेगा।

XX XX XX XX XX XX

25. वार्षिक साधारण बैठक.- (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वार्षिक साधारण बैठक उसके लिए विहित रीति से बुलायेगी-

(क) समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;

(ख) विहित रीति से तैयार किये गये लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;

(ग) विहित रीति से तैयार की गयी परीक्षा रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुपालन;

(घ) शुद्ध लाभों का व्ययन; और

(ङ) ऐसे अन्य किसी मामले पर विचार जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जायेः

परन्तु यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक न बुलाई जाए तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक सोसाइटी द्वारा यथावत् बुलाई गई एक साधारण बैठक समझी जायगी:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन ऐसी बैठक बुलाने के कारण होने वाला व्यय सोसाइटी

की निधि में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा जो रजिस्ट्रार की राय में साधारण बैठक बुलाने के लिए मना करने या बुलाने में असफल होने के लिए उत्तरदायी थे, भुगतान की जायेगी।

(2) **XX XX XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX

27. समितियों की नियुक्ति.- (1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रंबध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को सौंपेगा:

परन्तु इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नई समिति के गठन पर कार्य करना बन्द कर देगी जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी की समिति में ग्यारह निर्वाचित सदस्य होंगे जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे।

(2-क) उपरोक्त उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समिति में वृत्तिकों की इतनी संख्या होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये और जो लेखांकन, विधि, बैंककारी, प्रबंध, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले या ऐसे क्षेत्रों, यदि कोई हों, में ऐसा ज्ञान या अनुभव रखने वाले हों जैसा कि भारतीय बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, और यदि ऐसी संख्या में वृत्तिक निर्वाचित नहीं होते तो, ऐसे शीर्ष सहकारी बैंक या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति यह विचार किये बिना कि आया ऐसे वृत्तिक सदस्य हैं या नहीं, ऐसी संख्या में वृत्तिकों को पूर्ण मतदान अधिकारों सहित सहयोजित कर सकेगी:

परन्तु जहां अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं के बिना कोई व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित कर लिया जाये, वहां उसका सहयोजन अकृत और शून्य समझा जायेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा।

(3) समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, एक मत देने का हक होगा:

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति द्वारा पारित किसी संकल्प से कोई भी विसम्मति रखता हो, वह ऐसी विसम्मति की सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य न तो किसी अधिकारी के निर्वाचन के लिए मतदान में भाग लेगा न उसका मताधिकार होगा।

(4) किसी ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य होगा और यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से, पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य किसी भी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्ति हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी सदस्य की कमी या रिक्ति, ऐसी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या, यथास्थिति, भरी जायेगी।

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता.- (1) कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख को पहले से किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष है तो पूर्वोक्त निर्वाचन या नियुक्ति से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर उसका पश्चातवर्ती निर्वाचन या नियुक्ति शून्य समझी जायेगी जब

तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का, उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है:

परन्तु यह निरर्हता किसी सदस्य-सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(3-क) उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या शीर्ष सहकारी बैंक की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित, सहयोजित, नामनिर्देशित, या अन्यथा नियुक्ति किये जाने के लिए, या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह-

(i) किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है और ऐसी सोसाइटी उसके द्वारा ऐसे बैंक से लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में नब्बे दिवस से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी है;

(ii) ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी का व्यतिक्रमी है या ऐसी किसी व्यतिक्रमी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी, जो एक वर्ष से अधिक की कालावधि से व्यतिक्रमी है, का प्रतिनिधि है जब तक कि व्यतिक्रम दूर न कर दिया जाये; और

(iii) ऐसा व्यक्ति है जो, ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी समिति अधिक्रांत कर दी गयी है या उसकी स्वयं की समिति में सदस्य न रहा हो।

(4) राजस्थान साहूकर अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं.1) में यथापरिभाषित कोई साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या नियुक्त होने के

लिये पात्र नहीं होगा और जहां यथापूर्वोक्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी साहूकारी का कारबार प्रारंभ कर देता है तो वह तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी नहीं रहेगा।

(5) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश अपास्त नहीं किया गया हो, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश की तुष्टि में अभिदाय और खर्चें या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और यदि पहले की केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के सदस्य के रूप में अपने स्थान से या, यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता:

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित कर लिया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित हो जाने की

तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के अपने स्थान से या जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है:

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं:

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, इस उप-धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि तारीख 10.7.1995 को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, जहां 10.7.1995 को किसी दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चातवर्ती प्रसव से जन्मे बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(8-क) समिति का कोई भी सदस्य, जो अध्याय 5 के अधीन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अपेक्षित जानकारी या सहायता प्रदान करने में असफल रहा है, ऐसी असफलता की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(9) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

XX XX XX XX XX XX

30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना.- (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता

है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा उसके या अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है या राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी सोसाइटियों के संबंध में समय-समय पर बनाये या जारी किये गये विनियमों का अनुपालन नहीं करता है या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा नहीं करता है और भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी समिति या उसके किसी सदस्य को हटाने के प्रस्ताव पर प्राथमिक सोसाइटी की दशा में, आंचलिक रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान तथा शीर्ष सोसाइटी की दशा में, राज्य सरकार समिति या, यथास्थिति, सदस्य को अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा,-

(क) समिति को हटा सकेगी और सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त कर सकेगी; या

(ख) ऐसी समिति के सदस्य को हटा सकेगी और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधियों के अनुसार कर सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति के हटाये जाने के पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श किया जायेगा:

परन्तु यह और कि भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर समिति के हटाये जाने और शीर्ष सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रशासक नियुक्त करने की प्रक्रिया ऐसी सिफारिश से एक मास के भीतर-भीतर पूरी की जायेगी:

परन्तु यह भी कि किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की समिति को निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय नहीं हटाया जायेगा, अर्थात्:-

(क) सोसाइटी को निरन्तर तीन वर्षों में हानि हुई है; या

(ख) सोसाइटी में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं या कपट की पहचान हुई है; या

(ग) इस आशय के न्यायिक निदेश है; या

(घ) समिति में गणपूर्ति की स्थायी कमी है;

(2-क) यदि, किसी सोसाइटी की समिति की अवधि की समाप्ति के पूर्व, नयी समिति गठित नहीं की जाती है तो सरकार, नयी समिति के गठन तक सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का रजिस्ट्रार को निदेश दे सकेगी:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन प्रशासन द्वारा प्रतिस्थापित समिति का कोई भी सदस्य धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन निरर्हित नहीं समझा जायेगा।

(3) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त या कोई भी कृत्य करने और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।

(4) उप-धारा (1) के अधीन ज्योंही किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सोसाइटी में निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अध्यपेक्षा भेजे।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात धारा 62 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(6) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति को भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर ऐसी सिफारिश किये जाने के एक मास के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित में हटाया या अधिक्रांत किया जायेगा।

XX XX XX XX XX XX

32. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे प्राधिकारी की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और स्टाफ नियुक्त कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(2) राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, जिसे इस अध्याय में इसके आगे प्राधिकारी कहा गया है इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य में सहकारी सोसाइटियों की समितियों के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सी होगा।

(3) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए अंचल स्तर पर पदस्थापित आंचलिक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी और इकाई स्तर पर पदस्थापित इकाई अधिकारी, क्रमश: पदेन आंचलिक रिटर्निंग अधिकारी और इकाई रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्राधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी के प्रति उतरदायी होंगे।

33. प्राधिकारी के कृत्य.- (1) प्राधिकारी समस्त शीर्ष तथा केन्द्रीय सहकारी सोसाइटियों की और प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सोसाइटियों, वृहत क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, कृषक सेवा सोसाइटियों, कृषि विपणन सोसाइटियों, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, अरबन सहकारी बैंकों, उपभोक्ता सहकारी सोसाइटियों, डेरी सहकारी सोसाइटियों, बुनकर सहकारी सोसाइटियों, गृह निर्माण सहकारी सोसाइटियां की और समस्त ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटियों की, जिनकी शेयर पूंजी पांच लाख रुपये या अधिक है तथा सोसाइटियों के ऐसे अन्य वर्ग की भी, जो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित

किया जाये, समितियों के निर्वचनों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाये।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित से भिन्न किसी सोसाइटी में, समिति और उसके अधिकारियों के निर्वाचनों का संचालन ऐसी सोसाइटी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए बुलायी गयी साधारण निकाय की बैठक में ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाये:

परन्तु प्राधिकारी भी, इस उप-धारा में निर्दिष्ट सोसाइटी की समिति के निर्वाचनों का संचालन कर सकेगा जहां ऐसी सोसाइटी उससे ऐसा करने का अनुरोध करे या निर्वाचन का संचालन समय पर नहीं करवाये।

34. निर्वाचनों का उपक्रम.- (1) धारा 33 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपनी समिति के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, विद्यमान समिति की अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व रीति से, जो विहित की जाये, लिखित अनुरोध प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन विद्यमान समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये।

(3) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी प्राधिकारी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन हैं और प्राधिकारी या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

(4) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध करवाती है जिसकी निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाये।

(5) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रक्रिया एक-बार प्रारम्भ होने के पश्चात् प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर किसी भी कारण से रोकी या मुल्तवी नहीं की जायेगी।

XX XX XX XX XX XX

54. लेखापरीक्षा.- (1) सहकारी सोसाइटियों के लेखापरीक्षण के लिये रजिस्ट्रार विहित रीति से लेखापरीक्षकों के तीन पेनल अर्थात् विभागीय लेखापरीक्षकों, प्रमाणित लेखापरीक्षकों और चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा-परिभाषित, चार्टर्ड अकाउन्टेंटों के तैयार करेगा और उनमें से किसी एक ऐसे पेनल में से, जिसके लिए सोसाइटी निर्धारित समय के भीतर अपना विकल्प दे, लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक से करवायेगी, परन्तु कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा लगातार दो वर्ष से अधिक नहीं करेगा।

(3) सोसाइटी, लेखाओं की लेखापरीक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, सोसाइटी की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागजपत्रों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच को सुगम बनायेगी।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सोसाइटी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या एजेंट है या किसी भी समय रहा है और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य और भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी के संव्यवहारों और कार्यकरण के संबंध में ऐसी सूचना देगा, जिसकी लेखापरीक्षक अपेक्षा करे।

(5) लेखापरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लेखापरीक्षा को पूर्ण करके लेखापरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगा। यदि लेखापरीक्षा के समय किसी सहकारी सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं हैं तो रजिस्ट्रार या उसके अनुमोदन से उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उन लेखाओं को सोसाइटी के खर्चे पर पूर्ण रूप से लिखवायेगा।

(6) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक को सोसाइटी के सभी नोटिस, और वार्षिक साधारण बैठक से संबंधित प्रत्येक संसूचना प्राप्त करने का और ऐसी बैठक में उपस्थित होने और उसमें सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि इस धारा के अधीन की गयी लेखापरीक्षा के परिणामों से सहकारी सोसाइटी के कार्यकरण में कोई भी त्रुटि प्रकट होती है तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटि को सोसाइटी के और यदि सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से संबद्ध है तो उस अन्य सोसाइटी के भी ध्यान में लायेगा।

(8) रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षा में प्रकट त्रुटियों को आदेश में उल्लिखित समय के भीतर-भीतर ठीक करने के लिए सोसाइटी या उसके अधिकारियों को निदेश देते हुए आदेश करेगा।

(9) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी उप-धारा (1) के अधीन तैयार किये गये लेखापरीक्षकों के पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों में से किसी के द्वारा अपने लेखाओं को संपरीक्षित और प्रमाणित करा सकेगी:

परन्तु शीर्ष सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक के लेखा, राष्ट्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित पैनल में से उसके द्वारा नियुक्त चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं.38) में यथा परिभाषित चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा लेखापरीक्षित और प्रमाणित किये जायेंगे:

परन्तु यह और कि लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी लेखापरीक्षा के लिए प्रतिकर विनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(10) लेखापरीक्षक, जो लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक और रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित करेगा।

(11) रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत रीति और प्ररूप में भारतीय बैंक द्वारा अनुरोध किया जाये तो राज्य सहकारी बैंक या किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक की विशेष लेखापरीक्षा करवाये जाने को सुनिश्चित करेगा और नियत समय के भीतर-भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट भी देगा।

XX XX XX XX XX XX

62. बीमाकृत सहकारी बैंक.- इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में-

(i) बैंक के परिसमापन का कोई आदेश, या उसके साथ समझौते या ठहराव की या उसके समामेलन या पुनर्निर्माण (जिसमें विभाजन या पुनर्गठन सम्मिलित है) की किसी स्कीम की मंजूरी का कोई आदेश केवल भारतीय रिवर्ज बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा;

(ii) यदि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) की धारा 13घ में निर्दिष्ट परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो बैंक के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा एक मास के भीतर-भीतर किया जायेगा;

(iii) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, लोकहित में या बैंक के कार्यकलापों को जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकर रीति से चलाये जाने से रोकने के लिए या बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए ऐसी अपेक्षा की जाये तो रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी अपेक्षा के एक मास के भीतर-भीतर बैंक की समिति या अन्य प्रबंध निकाय (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाये) को हटाये जाने का और उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रशासक की नियुक्ति का आदेश किया जायेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रशासक अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् नयी समिति की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक पदारूढ़ रहेगा;

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा पर, खण्ड (i), (ii) या (iii) में यथानिर्दिष्ट किये गये किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और ऐसा आदेश या मंजूरी किसी भी रीति से प्रश्नगत किये जाने की दायी नहीं होगी;

(v) समापक या बीमाकृत सहकारी बैंक या, यथास्थिति, अन्तरिती बैंक निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से निक्षेप का प्रतिसंदाय करने के लिए बाध्य होगा।

स्पष्टीकरण:- (i) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सहकारी बैंक" से ऐसा बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) में परिभाषित किया गया है।

(ii) "बीमाकृत सहकारी बैंक" से ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के उपबंधों के अधीन कोई बीमाकृत बैंक है।

(iii) "अन्तरिती बैंक" से, किसी बीमाकृत सहकारी बैंक के संबंध में, कोई ऐसा सहकारी बैंक अभिप्रेत है-

(क) जिसके साथ ऐसा बीमाकृत सहकारी बैंक समामेलित किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक की आस्तियां और दायित्व अंतरित किये गये हैं; या

(ग) जिसमें इस अधिनियम की धारा 12 या 13 के उपबंधों के अधीन ऐसे बीमाकृत सहकारी बैंक को विभाजित या पुनर्गठित किया गया है।

XX XX XX XX XX XX

67. अध्याय का भूमि विकास बैंकों पर लागू होना.- यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होगा-

(क) इसमें प्रगणित प्रयोजनों के लिए अल्पकालिक और माध्यम अवधि उधार से भिन्न उधार देने वाले सहकारी बैंक (जिसे इसमें आगे 'भूमि विकास बैंक' कहा गया है) अर्थात्:-

(i) भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन;

(ii) कृषि प्रयोजनों के लिए मकानों का परिनिर्माण, पुननिर्माण या उनकी मरम्मत;

(iii) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.3), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.15) या राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं.24) तथा तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अभिधारियों या कृषकों द्वारा आवंटन के रूप में या अन्यथा कृषि भूमियों का क्रय या अर्जन;

(iv) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं.28) या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के अधीन ऋणों का समापन;

(v) पशुपालन के विकास के लिए;

(ख) भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात कोई अन्य सहकारी बैंक।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति-

(i) 'अल्पकालिक उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से कम अवधि के लिए हो;

(ii) 'मध्यम अवधि उधार' से ऐसा उधार अभिप्रेत है जो अठारह मास से पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए मंजूर किया जाता है; और

(iii) 'भूमि सुधार और उत्पादक प्रयोजन' से ऐसा कार्य, सन्निर्माण या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो भूमि की उत्पादकता में बढ़ोतरी करता है और विशिष्टतया इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:-

(क) कुओं (जिनमें नलकूप सम्मिलित हैं), तालाबों और ऐसे अन्य संकर्मों का सन्निर्माण और मरम्मत, जो कृषि प्रयोजन के लिए या मनुष्यों और कृषि में नियोजित पशुओं के उपयोग के लिए जल के भण्डारकरण, प्रदाय या वितरण के लिए हों;

(ख) पूर्वगामी संकर्मों में से किसी का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उनमें परिवर्तन या परिवर्धन;

(ग) भूमि को सिंचाई के लिए तैयार करना;

(घ) जल निकास, कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि या कृषि योग्य बंजर भूमि का नदियों या अन्य जलाशयों से उद्धार या बाढ़ से या जल से होने वाले क्षय या अन्य हानियों से संरक्षण;

(ङ) मेड़बंदी और इसी प्रकार के अन्य सुधार;

(च) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उद्धार, उसकी सफाई तथा बाड़ाबंदी या उसमें स्थायी सुधार;

(छ) उद्यान-कृषि;

(ज) इसमें वर्णित किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए तेल-इंजन, पंपिंग सैट और विद्युत मोटरों का क्रय;

(झ) ट्रैक्टर या कृषि सम्बन्धी अन्य मशीनों का क्रय;

(ञ) भूमि में विशेष प्रकार की मृदा मिलाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना;

(ट) स्थायी फार्म हाउसों, पशुशालाओं और किसी भी प्रक्रम पर कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए शैडों का सन्निर्माण;

(ठ) गन्ना पेरने की, गुड़ या खांडसारी या चीनी बनाने की मशीनों का क्रय;

(ड) राजस्थान जोत (समेकन और खंडकरण निवारण) अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं.24) के अधीन जोतों के समेकन के लिए भूमि का क्रय; और

(ढ) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सुधार या उत्पादक प्रयोजन घोषित करे।

XX XX XX XX XX XX

74. उधार देने के आवेदनों पर व्यवहार करने की रीति.- (1) जब धारा 67 में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजनों के लिए उधार हेतु आवेदन किया जाये तो उस आवेदन के विषय में एक सार्वजनिक नोटिस सभी हितबद्ध व्यक्तियों से, नोटिस में नियत समय और स्थान पर उधार के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों, व्यक्तिश: प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए विहित रीति से दिया जायेगा। सरकार, समय-समय पर, ऐसे व्यक्ति, जिनके द्वारा सार्वजनिक नोटिस दिया जायेगा, और ऐसी रीति जिसके अनुसार आक्षेपों की सुनवाई और उनका निपटारा किया जायेगा, विहित कर सकेगी।

(2) विहित अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक आक्षेप पर विचार करेगा और या तो उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा:

परन्तु जब किसी आक्षेप द्वारा उठाया गया प्रश्न अधिकारी की राय में इस प्रकार का है कि उसे किसी सिविल न्यायालय को छोड़कर किसी अन्य द्वारा संतोषप्रद रूप से विनिश्चित नहीं किया जा सकता तो वह उस आवेदन पर कार्रवाई उस समय तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक कि वह प्रश्न इस प्रकार विनिश्चित न कर दिया जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई नोटिस इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे समस्त व्यक्तियों को समुचित नोटिस समझा जायेगा जो उस भूमि में, जिसमें सुधार किया जाना या जिसे उधार के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, हित रखते हैं या उसका दावा करते हैं।

(4) भूमि विकास बैंक, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाये, इस अध्याय के अधीन उधार देने के प्रयोजनार्थ उचित जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर विचार करेंगे।

XX XX XX XX XX XX

104. रजिस्ट्रार और राज्य सरकार को अपील किया जाना.- (1) **XX XX**

(2) कोई व्यक्ति जो-

(क) रजिस्ट्रार के धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले किसी आदेश से,

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 10 की उप-धारा (3) के अधीन किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करने वाले आदेश से,

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन पारित इंकार के किसी आदेश से,

(घ) धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन किसी विनिश्चय से,

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 57 के अधीन किये गये अधिभार के किसी आदेश से,

(च) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 61 के अधीन किये गये किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने वाले आदेश से,

(छ) किसी सोसाइटी के समापक द्वारा, नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में धारा 64 द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किये गये किसी आदेश से,

(ज) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 100 के अधीन किये गये किसी आदेश से,

व्यथित हो, आदेश या विनिश्चय की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(3) से (4) **XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX

105. अधिकरण का गठन और उसको अपीलें.-

(1) से (9) **XX XX XX XX XX XX**

(10) कोई व्यक्ति जो-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति के किसी सदस्य को धारा 30 के अधीन हटाने वाले किसी आदेश या समिति के निर्वाचन या नियुक्ति से किसी सदस्य को धारा 28 की उप-धारा (5) के अधीन विवर्जित करने वाले किसी आदेश से; या

(ख) रजिस्ट्रार के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किये गये किसी विनिश्चय से; या

(ग) सरकार द्वारा धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उस निमित्त शक्तियों से विनिहित व्यक्ति के किसी विनिश्चय से; या

(घ) किसी मध्यस्थ के धारा 60 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन के किसी अधिनिर्णय से; या

(ङ) ऐसे किसी भी विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जो धारा 60 के अधीन किया जाये, निष्पादन में किसी विलम्ब या बाधा का निवारण करने की दृष्टि से धारा 102 के अधीन किये गये किसी आदेश से; या

(च) राज्य सरकार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा धारा 104 के अधीन की गयी किसी अपील में पारित किसी विनिश्चय से,

व्यथित है, ऐसे विनिश्चय, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर-भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 97 और प्रथम अनुसूची के आदेश 41 द्वारा किसी अपील न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियां होंगी।

(11) **XX XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX

109. अपराध और दण्ड.- (1) इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित अपराध होंगे, यदि-

(क) कोई व्यक्ति धारा 38 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति को अंतरित करता है; या

(ख) कोई सदस्य या उसका प्रत्याभूतिदाता या प्रतिभू या किसी मृत सदस्य का नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को धारा

39 के खण्ड (ग) के उल्लंघन में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अन्यसंक्रांत करता है; या

(ग) कोई नियोजक और प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी या ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला एजेंट जो पर्याप्त कारण के बिना धारा 41 के अधीन कटौतियां करने में असफल रहता है; या

(घ) सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 49 द्वारा अपेक्षित रीति से ऐसी सोसाइटी की निधियां निहित करने में असफल रहता है; या

(ङ) कोई व्यक्ति जो, किसी सृजनाधीन सहकारी सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, उस धन को समुचित कालावधि के भीतर-भीतर, सरकारी बचत बैंक में या किसी ऐसे अन्य बैंक में या बैंकिंग का व्यवसाय करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास, जो रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित हो, या नियमों द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य ढंग से, जमा नहीं कराता है; या

(च) कोई व्यक्ति, जो किसी सृजनाधीन सोसाइटी के लिए शेयर धन या कोई अन्य धन एकत्र करता है, इस प्रकार एकत्र निधि का, रजिस्ट्रीकृत होने वाली किसी सोसाइटी के नाम से कोई कारबार चलाने या व्यापार करने के लिए या अन्यथा उपयोग करता है; या

(छ) किसी सोसाइटी की समिति, या उसका कोई अधिकारी या सदस्य धारा 25 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है; या

(ज) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सूचना, पुस्तकें तथा अभिलेख हों या जिसके कब्जे में होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता हो या वह उन्हें कब्जे में रखने के लिए विधिक रूप से आबद्ध हो,

सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 30, 31, 54, 55, 60 या 63 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या पुस्तकें तथा अभिलेख प्रस्तुत करने या उसे सहायता देने में असफल रहता है; या

(झ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी ऐसी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी है, पुस्तकें, अभिलेख, नकद, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्तियां धारा 30 या 63 के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को या उसके स्थान पर निर्वाचित या नियुक्त किसी अधिकारी को सौंपने में असफल रहता है; या

(ञ) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य रजिस्ट्रार द्वारा या इस निमित्त लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कार्य करने में या कोई सूचना देने में जानबूझकर उपेक्षा करता है या इन्कार करता है; या

(ट) किसी सहकारी सोसाइटी की कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी देता है या मिथ्या सूचना देता है या समुचित लेखे रखने में असफल रहता है; या

(ठ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी, सदस्य, एजेन्ट या सेवक धारा 54 की उप-धारा (2) की अपेक्षा का पालन करने में असफल रहता है; या

(ड) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य धारा 60 के अधीन पारित विनिश्चय, अधिनिर्णय या आदेश का पालन करने में जानबूझकर असफल रहता है; या

(ढ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य ऐसी किसी संपत्ति का, जिस पर सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्वक व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या कोई व्यक्ति सोसाइटी को देय धन के संदाय से बचने के कपटपूर्ण आशय से अपनी सम्पत्ति

का विक्रय, अंतरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा व्ययन करता है; या

(ण) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी अपने व्यक्तिगत उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें उसकी रूचि है, उपयोग या फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उधार देने की जानबूझकर सिफारिश करता है या मंजूरी देता है; या

(त) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागज-पत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, बिगाड़ता है या अन्यथा परिवर्तित करता है, मिथ्याकरण करता है या छिपाता है या उनके नाश, विकृति, परिवर्तन, मिथ्याकरण या छिपाये जाने में संसर्गी बनता है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या किये जाने में संसर्गी बनता है; या

(थ) किसी सहकारी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसे नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया हो; या

(द) सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, धारा 30 की उप-धारा (4) या धारा 34 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अनुरोध राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को संसूचित करने में असफल रहता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए, इस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी या सदस्य के अन्तर्गत भूतपूर्व अधिकारी या, यथास्थिति, भूतपूर्व सदस्य भी है।

(2) प्रत्येक सोसाइटी, किसी सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन कोई अपराध करता है, दोषसिद्धि पर, निम्न प्रकार से दण्डित किया जायेगा,-

(क) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ख) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ग) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(घ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;

(ङ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा;

(च) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(छ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ज) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(झ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ञ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ञ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ट) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ठ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(ड) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ढ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ढ) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(ण) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (ण) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(त) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन अपराध हो तो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;

(थ) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा;

(द) यदि वह उप-धारा (1) के खण्ड (द) के अधीन अपराध हो तो ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा।

xx xx xx xx xx xx

अनुसूची-ख

(धारा 8 देखिए)

उपविधियों की विषयवस्तु

(1) किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) सोसाइटी का नाम और पता;

(ख) उसका कार्यक्षेत्र;

(ग) सोसाइटी के उद्देश्य;

(घ) वह रीति जिससे निधियां जुटायी जा सकेंगी और अधिकतम शेयर पूंजी जो कोई एकल सदस्य धारण कर सकेगा;

(ङ) सदस्यों के दायित्व का प्रकार और सीमा;

(च) वह सीमा जिस तक सोसाइटी निधियां उधार ले सकेगी और ऐसी निधियों पर संदेय ब्याज की दरें;

(छ) सदस्यों से संगृहीत की जाने वाली प्रवेश और अन्य फीसें;

(ज) वे प्रयोजन जिनके लिए उसकी निधियों का उपयोजन किया जा सकेगा;

(झ) सदस्यों के सम्मिलित किये जाने के निबंधन, अर्हताएं और शर्तें और उनके अधिकार और दायित्व;

(ञ) ऋण सोसाइटियों की दशा में,-

(i) किसी सदस्य को अनुज्ञेय अधिकतम उधार;

(ii) सदस्यों को दिये गये उधारों के ब्याज की अधिकतम दरें;

(iii) वे शर्तें जिन पर सदस्यों को उधार मंजूर किया जा सकेगा;

(iv) उधारों और अग्रिमों के प्रतिसंदाय के लिए समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए प्रक्रिया;

(v) किसी शोध्य राशि के संदाय में व्यतिक्रम के परिणाम; और

(vi) वे परिस्थितियां जिनके अधीन उधार वापस लिया जा सकेगा।

(ट) ऋणेत्तर सोसाइटियों की दशा में, कारबार, क्रय, विक्रय, स्टॉक मिलान करने का ढंग और अन्य सहबद्ध मामले;

(ठ) बैंठकें करने और नोटिस जारी करने का ढंग;

(ड) समिति की निर्वाचन द्वारा या अन्यथा नियुक्ति और समिति को हटाने का ढंग तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाये जाने का ढंग, समिति और ऐसे अधिकारियों के कर्त्तव्य और शक्तियां तथा उनकी अवधि;

(ढ) शुद्ध लाभों का व्ययन;

(ण) रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा उनका प्रकाशन;

(त) ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के मामले में, जो सम्बद्ध कृषि सहकारी ऋण सोसाइटियों के कार्य को सुकर बनाती है और जिसने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, "कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि" का गठन;

(थ) निधियों का गठन और अनुरक्षण;

(द) नाममात्र के और सहयुक्त सदस्यों को सम्मिलित करते हुए सदस्यों के विशेषाधिकार, अधिकार, कर्त्तव्य और दायित्व;

(ध) उपविधियों को बनाने, परिवर्तित करने और निराकृत करने की रीति;

(न) अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य तथा बहुमत का समर्थन खो देने पर उसका हटाया जाना;

(प) वार्षिक और विशेष साधारण बैंठकें बुलाने, नोटिस जारी करने का ढंग तथा उनमें किया जाने वाला कारबार;

(फ) अन्य सोसाइटी को प्रतिनिधि भेजने;

(ब) अपने कारबार के प्रबंध से आनुषंगिक कोई अन्य मामले।

(2) **XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 15 of 2013

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 2 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001(Act No. 16 of 2002), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, after the existing clause (pa) and before the existing clause (q), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(pb) "office bearer" means a Chairperson or Vice-Chairperson of a co-operative society and includes any other person to be elected by the committee of a co-operative society; ".

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub- section (2) of section 16 of the principal Act, the existing expression ", if any,", appearing after the existing expression "provisions of the bye-laws" and before the existing expression "regarding minimum essential utilisation", shall be deleted.

4. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 18 of the principal Act, for the existing

expression " unless he has made such payments to the society in respect of membership or", the expression "unless he has made payments in respect of all dues to the society including the payment in respect of membership or availed such minimum level of services or" shall be substituted.

5. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the principal Act, after the existing expression "Vice-Chairperson" and before the existing expression "shall", the expression "or an Administrator appointed under section 30" shall be inserted.

6. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 21 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that an individual member of Urban Co-operative Bank shall hold shares only upto a maximum of the one twentieth to the total share capital of the society.".

7. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (1) of section 25 of the principal Act, after the existing expression "society shall" and before the existing expression "call in the manner prescribed", the expression ",within a period of six months of close of the financial year, " shall be inserted.

8. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 27 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**27. Appointment of Committee.-**(1) The general body of a co-operative society shall entrust the management of the affairs of the society to a committee constituted in accordance with the bye-laws:

Provided that in the case of a society registered after the commencement of this Act, the persons who have signed the application to register the society may appoint a

committee to conduct the affairs of the society for the period of three months from the date of the registration, but the committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new committee which shall be constituted in accordance with the bye-laws within the said period of three months.

(2) The committee shall have such number of members as prescribed in the bye-laws:

Provided that the maximum number of the members of the committee shall not exceed twenty one:

Provided further that twelve members of the committee shall be elected by the general body of the society:

Provided also that one seat for the Scheduled Castes, one seat for the Scheduled Tribes and two seats for women shall be reserved in the committee of a co-operative society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

(3) The committee of a co-operative society shall co-opt such number of persons having experience in field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the co-operative society as members of the committee as may be specified in the bye-laws:

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two in addition to twenty one members of the committee specified in the first proviso of sub-section (2):

Provided further that the functional directors of a co-operative society shall also be the members of the committee and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of members of the committee specified in the first proviso.

(4) The term of office of the elected members of the committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the committee:

Provided that the committee may fill a casual vacancy on the committee by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:

Provided further that if a causal vacancy on the committee has arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, nomination or co-option, as the case may be, and the member so elected, nominated or co-opted, as the case may be, shall hold the office for the remainder of the term.

(5) Each member of the committee, including the members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall be entitled to cast one vote:

Provided that members nominated under section 29 or co-opted under sub-section (3), shall not have any right to vote in any election of the co-operative society in their capacity as such members or to be eligible to be elected as office bearers of the committee:

Provided further that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week.".

9. Amendment of section 28, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 28 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**28. Disqualification of membership etc. of committees.-** (1) No person shall, at the same time, be a

Chairperson of more than one apex society, or more than one central society.

(2) If a person, on the date of his election as a Chairperson of an apex or a central society as aforesaid, is already a Chairperson of another apex or central society, his later election shall be deemed to be void on the expiry of a period of fourteen days from the above election, unless he resigns from the chairpersonship of one of the above two apex or two central societies, as the case may be, within such period.

(3) No person shall be eligible for being elected, co-opted or nominated as a member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted or nominated, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he-

(i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural credit society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared ; and

(iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member of the committee of his own society.

(5) No money lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1963 (Act No. 1 of 1964) shall be eligible for being elected or co-opted as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, and where an officer of such society as aforesaid starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.

(6) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of any committee for a period of five years from the date of such removal:

Provided that a member of the committee replaced by an Administrator on the ground mentioned in clause (c) of sub-section (1) of section 30, shall not be deemed disqualified under this sub-section.

(7) No person against whom an order under section 57 has been passed, such order not having been set aside, shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of a committee until the expiry of a period of five years from the date he repays or restores the money or other property or part thereof with interest or pay contribution and cost or compensation in satisfaction of such order.

(8) No person-

(i) against whom a competent court has taken cognizance for an offence punishable under section 120B, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 or 477A of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) and is under trial shall be

eligible to be elected, co-opted or nominated or to continue as a member of the committee of a society; or

(ii) who has been convicted of any offence by a competent court and sentenced to imprisonment for three months or more, such sentence not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned, shall be eligible to be elected, co-opted or nominated or to continue as a member of the committee of a society for a period of five years from the date of such conviction.

(9) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the

committee unless he has previously resigned his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided further that he may become member of the committee or a Director.

(10) No person shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee if he has more than two children:

Provided that a person having more than two children shall not be disqualified under this sub-section for so long as the number of children he had on 10-07-1995 does not increase.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on 10-07-1995 and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

(11) No member of a committee, which has failed to provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V shall be eligible for election, co-option or nomination as a member of the committee for a period of five years from the date of such failure.

(12) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the process of election and by the Registrar at all other times.".

10. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**30. Removal of Committee or Member thereof.-** (1) Where-

(a) the committee of a co-operative society

(i) persistently makes default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws ; or

(iii) commits any act prejudicial to the interest of the society or its members; or

(b) there is stalemate in the constitution or functions of the committee; or

(c) the term of the existing committee has expired and the State Co-operative Election Authority has failed to conduct elections for a new committee in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder,

the Zonal Registrar, in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government in case of an apex society may, after giving the committee a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months:

Provided that the committee of a society shall not be superseded where there is no Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided further that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) shall also apply:

Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have effect as if for the words "six months", the words "one year" had been substituted.

(2) If any member of the committee persistently makes default or is negligent in the performance of his duties imposed by this Act or the rules or the bye-laws made thereunder or commits any act prejudicial to the interest of the society or its members, the Zonal Registrar, in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government in case of an apex society may, after giving a reasonable opportunity of being heard, remove such member by order in writing.

(3) The Administrator appointed under sub-section (1) shall,-

(a) arrange for conduct of elections within the period specified in that sub-section and hand over the management to the elected committee; and

(b) till the time the new committee is elected, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.".

11. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- *For the existing section 32 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-*

> *"**32. Election of Co-operative Society.-** The Election of a committee shall be conducted before the expiry of the term of the committee so as to ensure that the newly elected members of the committee assume office immediately on the expiry of term of the office of members of the outgoing committee.".*

12. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- *For the existing section 33 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-*

*"**33. State Co-operative Election Authority and its function.-** (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer of the State Government, as the State Co-operative Election Authority, hereinafter in this Chapter referred to as the Authority, in such manner, as may be prescribed, and may appoint such other officers and staff to assist such Authority, as it may deem fit.*

(2) The terms and conditions of the service of the Authority and other officers and staff appointed under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to a co-operative society shall vest in the Authority.

(4) The State Government may prescribe procedure and guidelines for conduct of elections to the co-operative societies.

(5) For the purpose of this Chapter, the Zonal Registrars, Co-operative Societies posted at zone level and Unit officer posted at the unit level shall act as ex-officio Zonal Returning Officer and Unit Returning Officer respectively and shall be answerable to the Authority for discharging the duties entrusted to them by the Authority.

(6) Subject to the provisions of sub-section (4) of section 27, the Authority shall conduct elections for filling in a casual vacancy occurring in the committee of a society for the remainder of the term of the committee, within six months of the occurrence of such vacancy.".

13. Amendment of section 34, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 34 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**34. Prelude to the elections .-** (1) The Chief Executive Officer of every co-operative society shall send a written information in such manner, as may be prescribed, to the Authority to conduct election of its committee and its office bearers, six months before the expiry of the term of the existing committee. The Chief Executive Officer shall also send written information regarding a casual vacancy in the committee immediately after occurrence of such vacancy.

(2) It shall be the duty of the committee of a society to ensure that all the information, books and records, which the Authority may require for the purpose of election, are updated and made available in time to the Authority or a person authorized by it for the purpose.

(3) The committee of the society shall also ensure that the society provides all the assistance to the Authority, as may be required by it for conduct of the election.

(4) The process of election of co-operative society, once started shall not be stopped or postponed for any reason, save for a natural calamity or break down of law and order.".

14. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 54 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**54. Accounts and Audit.-** (1) Every society shall prepare and maintain its accounts of each financial year in the prescribed form and manner.

(2) Every society shall cause its accounts to be audited by an auditor or auditing firm appointed by the general body of the society from amongst the panel approved under sub-section (4):

Provided that no auditor or auditing firm shall be appointed for the audit of the accounts of the society for more than two years in continuation.

(3) The accounts of every society shall be audited within six months of the close of the financial year to which such accounts relate.

(4) For the purposes of sub-section (1), the Registrar shall prepare, approve and notify a panel, in the prescribed manner, of eligible auditors and auditing firms.

(5) Following shall be the minimum qualification and experience for auditors and auditing firms that shall be eligible for auditing accounts of the societies, namely:-

(a) in case of an auditor,-

(i) he must be a Chartered Accountant as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years post-qualification experience of auditing accounts; or

(ii) he must be a person in the service of the Co-operative Department of the Government of Rajasthan, appointed, or authorised, to conduct audit of the co-operative societies and must have diploma in co-operative audit awarded by the National Council for Cooperative Training, New Delhi; and

(b) in case of an auditing firm, it must be a firm of Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) and should have at least three years experience of auditing accounts.

(6) Cost of the audit shall be decided and paid by the co-operative society concerned:

Provided that the fee of the auditors referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5) shall be prescribed by the State Government.

(7) The society shall render, to the auditor or, as the case may be, auditing firm, access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to the society.

(8) Every person, who is, or has at any time been, an officer or an employee or an agent of the society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the auditor or, as the case may be, auditing firm may require.

(9) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall have the right to receive all notices, and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting and to be heard thereat.

(10) The auditor or, as the case may be, auditing firm shall prepare audit report in the Proforma prescribed by the Registrar and submit the audit report to the society.

(11) The auditor or, as the case may be, auditing firm auditing the accounts of a short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(12) The Registrar shall ensure conduct of special audit of the Rajasthan State Cooperative Bank or a Central Cooperative Bank, if requested by the Reserve Bank of India, in the manner and form stipulated by the Reserve Bank of India and shall furnish the report to the Reserve Bank of India within the time stipulated.

(13) The society shall send a copy of the audit report along with compliance thereof after consideration

and approval of the same by the General Body of the society to the Registrar and to its affiliating society, if any.

(14) The Registrar shall submit to the State Government the audit report of the accounts of the Apex Cooperative Society and the State Government shall cause such report to be laid before the State Legislature.

(15) If the State Legislature resolves to make any direction or recommendation on the audit report laid before it, the society shall, as soon as possible, comply with the directions or, as the case may be, recommendations.".

15. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (iii) of section 62 of the principal Act, for the existing expression "five years", the expression "one year" shall be substituted.

16. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 67 of the principal Act,-

(i) in clause (a), for the existing expression "loans other than short term and medium term loans", the expression "long term loans" shall be substituted;

(ii) the existing clause (b) shall be renumbered as clause (c) and before clause (c), so renumbered, the following shall be substituted, namely:-

"(b) Land Development Banks advancing short term and medium term loans under the special schemes approved by the National Bank or for purposes specially approved by the State Government for this purpose on such terms and conditions, as the State Government may decide;"; and

(iii) in clause (ii) of the Explanation, the existing expression "and", appearing at the end, shall be deleted and thereafter, the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ii-A) "long term loan" means a loan which is neither a short term nor a medium term loan; and".

17. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 74 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**74. Mode of dealing with applications for loan.-** When an application for a loan is made for any of the purposes mentioned in section 67, the Land Development Bank shall consider such application after the due inquiry and in such manner as may be prescribed.".

18. Amendment of section 104, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing clause (d) of sub-section (2) of section 104 of the principal Act shall be deleted.

19. Amendment of section 105, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In clause (a) of sub-section (10) of section 105 of the principal Act, for the existing expression "sub-section (5) of section 28", the expression "sub-section (12) of section 28" shall be substituted.

20. Amendment of section 109, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 109 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) in clause (a), for the existing expression "sub-section(2)", the expression "sub-section (3)" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the existing expression "make deductions", the expression "make deductions and pay the amount so deducted" shall be substituted;

(c) in clause (h), for the existing expression "30, 31, 54, 55, 60 or 63", the expression "30, 31, 55, 60, 63 or 122-A or to the auditor or auditing firm appointed under section 54" shall be substituted;

(d) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely:-

"(r) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons,

requisitions or lawful written order issued under the provisions of this Act; or"; and

(e) after clause (r), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(s) any person, who before, during or after the elections of members of the committee or its office bearers, adopts any corrupt practice."; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing clause (r), the following shall be substituted, namely:-

"(r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both ; "; and

(b) after clause (r), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(s) if it is an offence under clause (s) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both .".

21. Insertion of section 122-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing section 122 and before the existing section 123 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**122-A. Filing of returns.-** Every society shall, within six months of the close of every financial year, file the following returns to the Registrar, namely:-

(a) annual report of its activities;

(b) its audited statements of accounts;

(c) plan for surplus disposal, as approved by the general body of the society;

(d) list of amendments to the bye-laws of the co-operative society, if any;

(e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections, when due; and

(f) such other information, as the Registrar may require, from time to time.".

22. Amendment of Schedule-B, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- After the existing sub-paragraph (d) and before the existing sub-paragraph (e) of paragraph (1) of the Schedule-B of the principal Act, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(da) the norms regarding minimum essential utilisation of the services of the society or regarding minimum essential attendance of the meetings of the society or regarding other dealings with the society, which shall be fulfilled by a member; ".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliament has enacted the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011 to ensure greater participation in, and autonomy of, the co-operative societies. As per the aforesaid Act, certain provisions of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 are to be amended to bring them in line with the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011. These provisions relate to sections 2, 16, 18, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 54, 62, 109, 122A and Schedule-B.

Some other amendments are also proposed to be made in the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 which are as follows:-

Section 20 is proposed to be amended to provide for the voting right of Administrator of a society in another society where such society is a member of another society.

As per the guidelines of the Reserve Bank of India, a new proviso in section 21 is proposed to be added for restricting the individual share holding of a member to 5% of the total share capital of the Urban Co-operative Bank.

Section 28 is proposed to be substituted for disqualifying a person, against whom a competent court has taken cognizance for an offence punishable under section 120B, 405, 406, 407, 408, 409, 415, 416, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 447, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 or 477A of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), for being eligible to be elected, co-opted or nominated or to continue as member of the committee of any co-operative society and consequently clause (a) of sub-section (10) of section 105 is proposed to be amended.

Section 67 is proposed to be amended for permitting Land Development Banks to advance short term and medium term loans under the special schemes approved by National Bank or for the purposes specially approved by the State Government for this

purpose on such terms and conditions, as the State Government may decide.

Section 74 is proposed to be substituted for simplifying the mode of dealing with application for loan.

Clause (d) of sub-section (2) of section 104 is proposed to be deleted for removing the anomaly arising out of the provisions relating to the appeal.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

परसादी लाल मीणा,
Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

(प्रतिलिपिः संख्या प. 2 (21)विधि/2/2013 जयपुर, दिनांक 14 मार्च, 2013 प्रेषकः परसादी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री, प्रेषितिः विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करती हूँ।

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 11 and 12 of the Bill, which seek to amend sections 32 and 33 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001, respectively, shall involve a non-recurring expenditure of Rs.1,49,00,000/- and a recurring expenditure of about Rs. 3,06,00,000/ per annum.

परसादी लाल मीणा,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to matters noted against each such clause:-

Clause	With respect to
12	prescribing manner in which an officer of the State Government appointed shall be as the State Co-operative Election Authority; [section 33(1)]
12	prescribing the terms and conditions of service of the State Co-operative Election Authority and other officers and staff; [section 33(2)]
13	prescribing manner in which the Chief Executive Officer of co-operative society shall send a written information; [section 34(1)]
14	prescribing form and manner in which society shall prepare and maintain its accounts; [section 54(1)]
14	prescribing the manner in which Registrar shall prepare, approve and notify a panel of eligible auditors and auditing firms; [section 54(4)]
14	prescribing the fee of the auditors referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (5); [section 54(6) proviso]
17	prescribing the manner in which the Land Development Bank shall consider application for a loan; [section 74]

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

परसादी लाल मीणा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001
(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX XX

16. Cessation of membership.- (1) xx xx xx xx

(2) A member whose business is in conflict or competition with the business of the society, or who has not attended the general body meeting without any reasonable excuse for three consecutive years or who has been persistently defaulting payment of his dues or has been failing to comply with the provisions of the bye-laws, if any, regarding minimum essential utilisation of the services of the society or regarding other dealings with the society or who, in the opinion of the committee, has brought disrepute to the society or has done other acts detrimental to the interests or proper working of the society, may after giving him an opportunity of representing his case before the general body called for the purpose, be removed or expelled from membership by a special resolution passed in such general body meeting in the prescribed manner.

XX XX XX XX XX XX

18. Member not to exercise rights till due payment made.- No member of a co-operative society shall exercise the rights of member unless he has made such payments to the society in respect of membership or has acquired such interest in the society, as may be specified in the bye-laws.

XX XX XX XX XX XX

20. Manner of exercising votes.- (1) xx xx xx xx

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where-

(a) a co-operative society is a member of another co-operative society, its Chairperson or, in his absence, Vice-Chairperson shall, subject to any

rules made under this Act, represent to cast vote on its behalf, in the affairs of that another society;

(b) the Government or a local authority or a body is a member of a co-operative society, it may nominate a representative to cast vote on its behalf, in the affairs of such society.

21. Restriction on holding of shares.- An individual member in a co-operative society shall hold shares only upto a maximum of the one-fifth of the total share capital of the society.

XX XX XX XX XX XX

25. Annual general meeting.- (1) Every co-operative society shall call in the manner prescribed therefor, an annual general meeting for the purpose of –

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the committee for the ensuing year;

(b) consideration of the accounts and annual report prepared in the prescribed manner;

(c) consideration of the audit report prepared in the manner prescribed, and the compliance thereof;

(d) disposal of the net profits; and

(e) consideration of any other matter which may be brought forward in accordance with the bye-laws:

Provided that if no such meeting is called within the time aforesaid, the Registrar or any other person authorized by him may call such meeting in the manner prescribed and that meeting shall be deemed to be a general meeting duly called by the society:

Provided further that the Registrar may order that the expenditure incurred in calling such a meeting under the foregoing proviso shall be paid out of the funds of the society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the general meeting.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

27. Appointment of committees.- (1) The general body of a co-operative society shall entrust the management of the affairs of the society to a committee constituted in accordance with the bye-laws:

Provided that in the case of a society registered after the commencement of this Act, the persons who have signed the application to register the society may appoint a committee to conduct the affairs of the society for the period of three months from the date of registration, but the committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new committee which shall be constituted in accordance with the bye-laws within the said period of three months.

(2) Every society shall have eleven elected members in its committee, who shall be elected by the general body of the society for a term of five years.

(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) above, there shall be such number of professionals on the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Banks as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time and having special knowledge or experience in the field of accounting, law, banking, management, agriculture or rural economy or such knowledge or experience in such fields, if any, as may be specified by the Reserve Bank of India and in case such number of professionals do not get elected, the committee of such Apex Co-operative Bank or the Central Co-operative Bank, as the case may be, shall co-opt such number of professionals with full voting rights irrespective of whether such professionals are members or not:

Provided that where a person has been co-opted as a member of the committee under this sub-section without having the requisite minimum qualifications, his co-option shall be treated

as null and void and shall be removed from the office after giving him a reasonable opportunity of being heard.

(3) Each member of the committee, including the members nominated by the State Government, if any, shall be entitled to cast one vote:

Provided that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week:

Provided further that a member nominated by the State Government shall neither participate in voting for the election of any officer nor shall have any franchise therefor.

(4) At least one member each in the committee of a village service society, a farmers service society, a Dairy Co-operative Society, a Land Development Bank and a Central Co-operative Bank shall be from scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women and, if for any reason, whatsoever, the members of the aforesaid sections, to the extent as aforesaid, are not elected on the committee of any society or a vacancy occurs therein , the deficiency or the vacancy of a member belonging to the aforesaid sections in the committee of such society shall be made good or filled in, as the case may be, by the Committee by co-option, from amongst members belonging to the aforesaid sections.

28. Disqualification of membership etc. of committees.- (1) No person shall, at the same time, be a Chairperson of more than one apex societies or more than one central societies.

(2) If a person, on the date of his election or appointment as a chairperson of an apex or a central society as aforesaid, is already a chairperson of another apex or central society, his later election or appointment shall be deemed to be void on the expiry of a period of fourteen days from the above election or appointment, unless he resigns from the chairpersonship of one of the above two apex or two central societies, as the case may be, within such period.

(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as member of a committee or for continuing as member on the committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months:

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(3-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), no person shall be eligible for being elected, co-opted, nominated, or otherwise appointed, or for continuing as a member of the committee of a Central Co-operative Bank or the Apex Co-operative Bank, if he-

(i) represents a society other than a primary agricultural credit society and such society is in default to such bank, in respect of any loan or loans taken by it for a period exceeding ninety days;

(ii) is a person who is defaulter of a primary agricultural society or is a representative of a defaulting primary agricultural credit society for a period exceeding one year unless the default is cleared; and

(iii) is a person, who represents a society whose committee is superseded or has ceased to be a member on the committee of his own society.

(4) No money lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1963 (Act No. 1 of 1964), shall be eligible for being elected or appointed as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, and where an officer of such society as aforesaid starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.

(5) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election or appointment as a member of the committee for a period of five years from the date of such removal.

(6) No person against whom an order under section 57 has been passed, such order not having been set aside, shall be eligible for election or appointment as a member of a committee until the expiry of a period of five years from the date he repays or restores the money or other property or part thereof with interest or pay contribution and costs or compensation in satisfaction of such order.

(7) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns a seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:

Provided that a person who is already a Chairperson of a Committee is appointed or elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being appointed or elected as member of the Union Council of Minsiters or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:

Provided further that he may become member of the committee or a Director.

(8) No person shall be eligible for election as a member of the Committee if he has more than two children:

Provided that a person having more than two children shall not be disqualified under this sub-section for so long as the number of children he had on 10-7-1995 does not increase.

Explanation.- For the purpose of this sub-section, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on 10-7-1995 and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

(8-A) No member of a committee , which has failed to provide the required information or assistance to the State Co-operative Election Authority under Chapter V shall be eligible for election or appointment as a member of the committee for a period of five years from the date of such failure.

(9) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the processs of elections and by the Registrar at all other times.

XX XX XX XX XX XX

30. Removal of committee or member thereof.- (1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or by him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or wilfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, or in the case of the State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank, does not comply with the regulations made or issued by the Reserve Bank of India from time to time in respect of such societies or does not fulfil any eligibility

criteria specified by the Reserve Bank of India and a request has been received from the Reserve Bank of India or the National Bank to that effect, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.

(2) On the proposal to remove a committee or a member thereof under sub-section (1), the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in case of a central society and the State Government in case of an apex society, may, after giving the committee or the member, as the case may be, a reasonable opportunity to state its or his objections, if any, by order in writing,-

(a) remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months; or

(b) remove the member of such committee and get the vacancy filled up for the remainder of the term of the outgoing member, according to the bye-laws:

Provided that before removal of the committee of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank under this section the Reserve Bank of India shall be consulted:

Provided further that the process of removing the committee and appointing an administrator of the Apex Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank on the recommendation of the Reserve Bank of India shall be completed within one month of such recommendation:

Provided also that the committee of a primary agricultural credit society shall not be removed except on the following conditions, namely:-

(a) the society has incurred losses for three consecutive years; or

(b) serious financial irregularities or frauds have been identified in the society; or

(c) there are judicial directives to this effect; or

(d) there is perpetual lack of quorum in the committee;

(2-A) If, before the expiry of the term of the committee of a society, a new committee is not constituted, the Government may direct the Registrar to appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till a new committee is constituted:

Provided that no member of the committee, replaced by an Administrator under this sub-section, shall be deemed to be disqualified under sub-section (5) of section 30.

(3) The Administrator so appointed shall, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.

(4) It shall be the duty of the Chief Executive Officer of the Society to send a requisition to the State Co-operative Election Authority, to conduct elections in the society, as soon as an Administrator is appointed under sub-section (1).

(5) Nothing contained in this section shall affect the provisions of section 62.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act, the committee of the Apex Co-operative Bank and Central Co-operative Bank shall be removed or superseded by the Registrar in public interest at the recommendation of the Reserve Bank of India within one month of being so advised.

XX XX XX XX XX XX

32. State Co-operative Election Authority.- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint an officer of the State Government, as the State Co-operative Election Authority, in such manner, as may be prescribed, and may appoint such other officers and staff to assist such Authority, as it may deem fit.

(2) The State Co-operative Election Authority, hereinafter referred to as the Authority in this Chapter, shall be an independent agency for conducting elections of the committees of the

co-operative societies in the State under the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) For the purpose of this Chapter, the Zonal Registrars, Co-operative Societies posted at zone level and Unit Officer posted at the unit level shall act as *ex-officio* Zonal Returning Officer and Unit Returning Officer respectively and shall be answerable to the Authority for discharging the duties entrusted to them by the Authority.

33. Functions of the Authority.- (1) The Authority shall conduct elections in such manner, as may be prescribed, of the committees of all the apex and central co-operative societies and of the Primary Agriculture Credit Co-operative Societies, Large Area Multi-purpose Co-operative Societies, Farmers Service Societies, Agriculture Marketing Societies, Primary Land Development Banks, Urban Co-operative Banks, Consumer Co-operative Societies, Dairy Co-operative Societies, Weavers Co-operative Societies, Housing Co-operative Societies and of all such other co-operative societies, having a share capital of rupees five lacs or more and also of such other class of societies, as may be notified by the State Government for this purpose.

(2) In a society other than that mentioned in sub-section (1), elections of the committee and its officers shall be conducted in such manner, as may be prescribed, in the general body meeting called for the purpose by an election officer appointed by such society:

Provided that the Authority may also conduct elections of the committee of the society referred to in this sub-section where such society requests it do so, or does not conduct election in time.

34. Prelude to the elections.- (1) The Chief Executive Officer of every co-operative society specified in sub-section (1) of section 33, shall send a written request in such manner, as may be prescribed, to the Authority to conduct election of its committee, six months before the expiry of the term of the existing committee.

(2) On receipt of the request under sub-section (1), the Authority shall ensure that the election is conducted before the expiry of the term of the existing committee.

(3) It shall be the duty of the committee of a society to ensure that all the information, books and records, which the Authority may require for the purpose of election, are updated and made available in time to the Authority or a person authorised by it for the purpose.

(4) The committee of the Society shall also ensure that the society provides all the assistance to the Authority, as may be required by it for conduct of the election.

(5) The process of election of co-operative society, once started shall not be stopped or postponed for any reason, save for a natural calamity or break down of law and order.

XX XX XX XX XX XX

54. Audit.- (1) For the audit of co-operative societies, the Registrar shall prepare three panels of auditors, viz. departmental auditors, certified auditors, and Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949), in the manner prescribed, and shall, from one of such panels which the society may, within the time prescribed therefor opt, appoint the auditor.

(2) Every society shall get its accounts audited by an auditor appointed by the Registrar, provided that no person shall audit the accounts of a society for more than two years in continuation.

(3) The society shall render, to every person auditing the accounts, access to all the books, accounts, documents, papers, securities, cash and other properties belonging to the society.

(4) Every person, who is, or has at any time been, an officer or an employee or an agent of the society and every member and past member of the society shall furnish such information in regard to the transactions and working of the society as the auditor may require.

(5) The auditor, completing the audit within the period specified by the Registrar, shall submit the audit report in a proforma prescribed by the Registrar. If at the time of audit the accounts of a co-operative society are not complete, the Registrar or with his approval, the person authorised by him may cause the accounts to be written up at the expense of the society.

(6) The auditor appointed by the Registrar shall have the right to receive all notices, and every communication relating to the annual general meeting of the society and to attend such meeting and to be heard thereat.

(7) If the result of the audit held under this section discloses any defects in the working of co-operative society, the Registrar may bring such defects to the notice of the society and, if the society is affiliated to another co-operative society, also to the notice of such other society.

(8) The Registrar may make an order directing the society or its officers to remedy the defects disclosed in the audit, within the time mentioned in the order.

(9) Notwithstanding anything contained in this section, a primary agricultural credit society may get its accounts audited and certified by any of the auditors appointed by it from the panel of auditors prepared under sub-section (1):

Provided that the accounts of the Apex Co-operative Bank and a Central Co-operative Bank shall be audited and certified by Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountant Act, 1949 (Central Act No. 38 of 1949) appointed by it from the panel approved by the National Bank:

Provided further that the short term co-operative credit structure society shall be free to decide the compensation for audit.

(10) The auditor who audits the accounts of as short term co-operative credit structure society shall endorse a copy of the audit report to the Reserve Bank of India, the National Bank and the Registrar.

(11) The Registrar shall ensure conduct of special audit of State Co-operative Bank or a Central Co-operative Bank if requested by the Reserve Bank of India in the manner and from stipulated by the Reserve Bank of India and also furnish the report to Reserve Bank of India within the time stipulated.

XX XX XX XX XX XX

62. Insured Co-operative Bank.- Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of an Insured co-operative Bank-

(i) an order for the winding up, or an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction (including division or reorganisation) of the Bank may be made only with the previous sanction in writing of the Reserve Bank of India;

(ii) an order for the winding up of the Bank shall be made by the Registrar within a month if so required by the Reserve Bank of India in the circumstances referred to in section 13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961);

(iii) if so required by the Reserve Bank of India in the public interest or for preventing the affairs of the Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Bank, an order shall be made by the Registrar within one month of such requisition for the removal of the committee or other managing body (by whatever name called) of the Bank and the appointment of an administrator therefor for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall, after the expiry of his term of office,

continue in office until the day immediately preceding the date of the first meeting of the new committee;

(iv) no appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order such as is referred to in clause (i), (ii) or (iii) made with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank of India and such order or sanction shall not be liable to be called in question in any manner;

(v) the Liquidator or the Insured Co-operative Bank or transferee Bank, as the case may be, shall be under an obligation to repay the deposit to the Deposit Insurance Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961) in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

Explanation.- (i) For the purpose of this section "a Co-operative Bank" means a Bank as has been defined in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).

(ii) "Insured Co-operative Bank" means a Co-operative Bank, which is an Insured Bank under the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (Central Act 47 of 1961).

(iii) "Transferee Bank", in relation to an Insured Co-operative Bank, means a Co-operative Bank-

(a) with which such Insured Co-operative Bank is amalgamated; or

(b) to which the assets and liabilities of such Insured Co-operative Bank are transferred;or

(c) into which such Insured Co-operative Bank is divided or reorganised under the provisions of section 12 or 13 of this Act.

XX XX XX XX XX XX

67.- Application of Chapter to Land Development Banks.- This Chapter shall aplly to –

(a) co-operative banks advancing loans other than short term and medium term loans, for the purposes herein enumerated, (hereinafter referred to as "Land Development Banks") that is to say-

(i) land improvement and productive purposes;

(ii) the erection, rebuilding or repairing of houses for agricultural purposes;

(iii) the purchase or acquisition of agricultural lands by tenants or agriculturists by way of allotment or otherwise under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) or the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 24 of 1954) and rules made thereunder;

(iv) the liquidation of debts under the Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957 (Act No. 28 of 1957) or any corresponding law for the time being in force in any part of the State;

(v) for the development of animal husbandry;

(b) any other co-operative bank permitted by the Registrar to function as a Land Development Bank.

Explanation.- For the purposes of this section, the expressions-

(i) "short term loan" means a loan for the duration of less than eighteen months;

(ii) "medium term loan" means a loan granted for a period ranging from eighteen months to five years; and

(iii) "land improvement and productive purposes" means any work, construction or activity which adds to the productivity of the land and,

in particular, includes the following, that is to say:-

(a) construction and repairs of wells (including tubewells), tanks and other works for the storage, supply or distribution of water for the purpose of agriculture, or for the use of men and cattle employed in agriculture;

(b) renewal or reconstruction of any of the foregoing works, or alterations therein, or additions thereto;

(c) preparation of land for irrigation;

(d) drainage, reclamation from rivers or other waters, or protection from floods or from erosion or other damage by water, of land used for agricultural purposes or waste land which is culturable;

(e) bunding and similar improvements;

(f) reclamation, clearance and enclosure or permanent improvement of land for agricultural purposes;

(g) horticulture;

(h) purchase of oil engines, pumping sets and electrical motors for any of the purposes mentioned herein;

(i) purchase of tractors or other agricultural machinery;

(j) increase of the productive capacity of land by addition to it of special variety of soil;

(k) construction of permanent farm-houses, cattle sheds, and sheds for processing of agricultural produce at any stage;

(l) purchase of machinery for crushing sugarcane, manufacturing Gur or Khandsari or Sugar;

(m) purchase of land for consolidation of holdings under the Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954 (Act No. 24 of 1954); and

(n) such other purposes as the State Government may from time to time, by notification in the Official Gazette, declare to be improvement or productive purposes for the purpose of this Chapter.

XX XX XX XX XX XX

74. Mode of dealing with application for loans.- (1) When a application for a loan is made for any of the purposes mentioned in section 67, a public notice shall be given of the application in such manner as may be prescribed, calling upon all persons interested to present their objections to the loan, if any, in person at a time and place fixed therein. The Government may, from time to time, prescribe the persons by whom such public notice shall be given and the manner in which the objection shall be heard and disposed of.

(2) The prescribed officer shall consider every objection submitted under sub-section (1) and make an order in writing either upholding or overruling it:

Provided that when the question raised by an objection is, in the opinion of the officer, one of such a nature that it cannot be satisfactorily decided except by a civil court, he shall postpone the proceedings on the application until the question has been so decided.

(3) A notice under sub-section (1) shall, for the purpose of this Act, be deemed to be proper notice to all persons having or claiming interest in the land to be improved, or offered as security for the loan.

(4) Subject to such rules as may be prescribed, the land Development Banks shall consider such application after due enquiry for the purpose of making loans under this Chapter.

XX XX XX XX XX XX

104. Appeal to the Registrar and the State Government.- (1) xx xx

(2) Any person aggrieved by –

(a) an order of the Registrar made under sub-section (2) of section 6 refusing registration of a co-operative society,

(b) an order of the Registrar made under sub-section (3) of section 10 refusing registration of an amendment of the bye –laws of a co-operative society,

(c) an order of refusal passed by the Registrar under sub-section (2) of section 12,

(d) a decision under sub-section (4) of section 28,

(e) an order of surcharge made by the Registrar under section 57,

(f) an order made by the Registrar under section 61, directing the winding up of a co-operative society,

(g) an order made by the Liquidator of a society, in exercise of the powers conferred on him by section 64 with respect to matters specified in the rules,

(h) an order made by the Registrar under section 100, may, within ninety days from the date of order or decision, appeal to the authority specified under sub-section (1).

(3) to (4) xx xx xx xx xx

105. Constitution of and appeals to the Tribunal.- (1) to (9) xx xx

(10) Any person aggrieved by-

(a) an order removing a member of the committee of a co-operative society under section 30 or an order debarring a member from election or appointment to a Committee under sub-section (5) of section 28, or

(b) any decision of the Registrar made under clause (a) of sub-section (1) of section 60, or

(c) any decision of the person invested by the Government with powers in that behalf under clause (b) of sub-section (1) of section 60, or

(d) any award of an Arbitrator under clause (c) of sub-section (1) of section 60, or

(e) any order made under section 102 with a view to prevent any delay or obstruction in the execution of any decision or award that may be made under section 60,

(f) any decision passed by the State Government or the Registrar, as the case may be, in an appeal made under section 104,

may within ninety days from the date of the decision, award or order, as the case may be, appeal to the Tribunal.

Explanation.- The Tribunal hearing an appeal under this Act shall exercise all the powers conferred upon an appellate court by section 97 and order XLI in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908).

(11) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

109. Offences and punishment.- (1) It shall be an offence under this Act, if-

(a) any person transfers any property in contravention of sub-section (2) of section 38; or

(b) any member or his guarantor or surety or the nominee, heir or legal representative of deceased member alienates the whole or any part of any property specified in the declaration in contravention of clause (c) of section 39; or

(c) any employer and every Director, Manager, Secretary or other officer or agent acting on behalf of such employer who without sufficient cause, fails to make deductions under section 41; or

(d) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof fails to invest funds of such society in the manner required by section 49; or

(e) any person collecting share money or any other money for a co-operative society in formation, does not, within a reasonable period, deposit the same in the Government Savings Bank or with any bank or person carrying on the business of banking approved for this purpose by the Registrar or in any other mode permitted by the rules; or

(f) any person, collecting the share money or any other money for a society in formation makes use of the funds so raised for conducting any business or trading in the name of a society to be registered or otherwise; or

(g) a committee of a society, or an officer or member thereof, fails to comply with the provisions of sub-section (1) of section 25; or

(h) any officer or member of a co-operative society or any other person in possession of, or reasonably believed to be in possession of, or legally bound to keep in possession, any information, books and records, fails to furnish such information or produce books and records, or to give assistance to person appointed or authorised by the Government or the Registrar under sections 30, 31, 54, 55, 60 or 63; or

(i) any officer of a co-operative society fails to handover the custody of books, records, cash, security and other properties belonging to the society of which he is an officer to a person appointed under section 30 or 63, or to an officer elected or appointed in his place; or

(j) a committee of a co-operative society or an officer or member thereof wilfully neglects or refuses to do any act, or to furnish any information required for the

purpose of this Act by the Registrar, or other person duly authorised by him in writing in this behalf; or

(k) a committee of a co-operative society, or an officer or member thereof, wilfully makes a false return, or furnishes false information, or fails to maintain proper accounts; or

(l) any officer, member, agent or servant of a co-operative society fails to comply with the requirements of sub-section (2) of section 54; or

(m) any officer or member of a society wilfully fails to comply with any decision, award or order passed under section 60; or

(n) a member of a co-operative society fraudulently disposes of property over which the society has a prior claim, or a member or officer or employee or any person disposes of his property by sale, transfer, mortgage, gift or otherwise, with the fraudulent intention of evading the dues of the society; or

(o) any officer of a co-operative society wilfully recommends or sanctions for his personal use or benefit or for the use or benefit of a person in whom he is interested, a loan in the name of any other person; or

(p) any officer or member of a society destroys, mutilates, tampers with, or otherwise alters, falsifies or secrets, or is privy to the destruction, mutilation, alteration, falsification or secreting of any books, papers or securities or makes, or is privy to the making of any false or fraudulent entry in any register, book of account or document belonging to the society; or

(q) any officer or member of co-operative society, or any person does any act declared by the rules to be an offence;or

(r) the Chief Executive Officer of the Society fails to communicate the request to the State Co-operative Election Authority, as required under sub-section (4) of section 30 or sub-section (1) of section 34.

Explanation.- For the purpose of this section an officer or a member referred to in the section shall include a past officer or a past member, as the case may be.

(2) every society, officer or past officer, member or past member, employee or past employee of a society, or any other person, who commits an offence under sub-section (1) shall, on conviction, be punished,-

(a) if it is an offence under clause (a) of sub-section (1), with imprisonment of a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;

(b) if it is an offence under clause (b) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;

(c) if it is an offence under clause (d) of sub-section (1), with a fine which may extend to five thousand rupees;

(d) if it is an offence under clause (d) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;

(e) if it is an offence under clause (e) of sub-section (1), with fine which may extend to five hundred rupees;

(f) if it is an offence under clause (f) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;

(g) if it is an offence under clause (g) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year

and with fine which may extend to two thousand rupees;

(h) if it is an offence under clause (h) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;

(i) if it is an offence under clause (i) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to five thousand rupees;

(j) if it is an offence under clause (j) of sub-section (1), with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;

(k) if it is an offence under clause (k) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may not be less than three months but which may extend to one year and with fine which may extend to two thousand rupees;

(l) if it is an offence under clause (l) of sub-section (1), with fine which may extend to one thousand rupees;

(m) if it is an offence under clause (m) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;

(n) if it is an offence under clause (n) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both;

(o) if it is an offence under clause (o) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extends to

two years, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;

(p) if it is an offence under clause (p) of sub-section (1), with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both;

(q) if it is an offence under clause (q) of sub-section (1), with fine which may extend to two thousand rupees;

(r) if it is an offence under clause (r) of sub-section (1), with fine which may extend to five thousand rupees.

XX XX XX XX XX XX

SCHEDULE-B

(See section 8)

SUBJECT MATTER OF BYE-LAWS

(1) The bye –laws of a co-operative society shall provide for the following matters, namely :-

(a) the name and address of the society;

(b) the area of its operation;

(c) the objects of the society;

(d) the manner in which funds may be raised and the maximum share-capital which a single member may hold;

(e) the nature and extent of the liability of the members;

(f) the extent to which the society may borrow funds and the rates of interest payable on such funds;

(g) the entrance and other fees to be collected from members;

(h) the purposes for which its funds may be applied;

(i) the terms, qualifications and conditions of admission of members and their rights and liabilities;

(j) in the case of credit societies,-

(i) the maximum loan admissible to a member;

(ii) the maximum rates of interest of loans to members;

(iii) the conditions on which loans may be granted to members;

(iv) the procedure for granting extension of time for the re-payment of loans and advances;

(v) the consequences of default in payment of any sum due; and

(vi) the circumstances under which a loan may be recalled.

(k) the mode of conducting business, purchase, sale, stock-talking and other allied matters in case of non-credit societies;

(l) the mode of holding meetings and issue of notices;

(m) the mode of appointment of the committee by election or otherwise and removal of the committee and mode of

appointment and removal of other officers, the duties and powers of the committee and such officers and their terms;

(n) the disposal of net profits;

(o) the preparation and submission of the annual statements specified by Registrar and the publication of the same;

(p) the constitution of an "Agricultural Credit Stabilisation Fund" in case of every co-operative society which facilitates the operations of affiliated agricultural co-operative credit societies and which has received financial assistance from the Government;

(q) constitution and maintenance of funds;

(r) the privileges, rights, duties and liabilities of members including nominal and associate members;

(s) the manner of making, altering and abrogating bye-laws;

(t) the Chairperson's powers, duties and functions and his removal on his losing support of the majority;

(u) the mode of convening annual and special general meetings, issue of notices, and the business which may be transacted thereat;

(v) to send a representative to another society;

(w) any other matters incidental to the management of its business.

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

2013 का विधेयक सं. 15

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रदीप कुमार शास्त्री,
विशिष्ट सचिव।

(परसादी लाल मीणा, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 15 of 2013

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2013

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRADEEP KUMAR SHASTRY,
Special Secretary.

(Parsadi Lal Meena, **Minister-Incharge**)